

कार्यालय कलेक्टर एवं भू-अर्जन अधिकारी, जिला-मुरैना

प्र० क्र० 64/अ-82/भू-अर्जन/उ०म०रे०/2018/14122 मुरैना, दिनांक : 28/11/2019

30-11-19
अधिसूचना

(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19(1) एवं 40 [सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)

राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर-श्यापुरकलों रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिवर्तन) ग्राम-दीपैरा, प०ह०क०- रा०नि० वृत्त- तहसील -कैलारस उपखण्ड- कैलारस जिला-मुरैना में कुल 3.932 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम- दीपैरा , प०ह०क०- रा०नि० वृत्त- तहसील- कैलारस उपखण्ड- कैलारस जिला-मुरैना में उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन

क. जिला मुरैना
ख. तहसील कैलारस
ग. ग्राम दीपैरा
घ. लगभग क्षेत्रफल 3.932 हेक्टेयर
भूमि का विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है:-

क्र. सं.	सर्वे नंबर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	कुल क्षेत्रफल	अर्जन का क्षेत्रफल	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	2	3	4		5	6
1	1154/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.303	0.011	भरोषी पुत्र चुन्नी जाति कुम्हार नि.ग्राम शासकीय पटटेदार वना भूमिस्वामी
2	1154/3	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.314	0.058	खचेरी पुत्र चुन्नी जाति कुम्हार नि.ग्राम शासकीय पटटेदार वना भूमिस्वामी
3	1156	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	1.473	0.971	मुरारी लाल पुत्र मनफूल वृजकिशोर पुत्र सियाराम जाटव हि.418/1473 बदन सिंह,सरनाम रामवीर बा. जनक सिंह ना.बा. पुत्रगण विसराम हि.1/2 गीता वेवा रामवरन आशिक ना.मरिया कविता लाली निविशा ना.बा. पुत्रिया रामवरनहि. 1/6 रघुवीर बा. बंटी ना.बा. पिता रतीराम हि.1/3 दर हि. 1055/1473 जाति काछी नि.ग्राम

Amr

4	1161/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.617	0.354	किशुनलाल पुत्र मुरली जाति त्यागी नि.स्यावटा भूमि स्वामी
5	1163/4	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.421	0.155	गीता देवी पत्नी रामविलास हि.1/2 निवासी उत्तमपुरा मुरैना मुन्शी लाल पुत्र दुर्जन हि.1/2 जाति जाटव निवासी मुरैना गाँव भूमि स्वामी
6	1164	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.502	0.463	रामवती पत्नी लालाराम जाति जाटव नि.ग्राम हाल नि.कैलारस भूमि स्वामी
7	1165/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.732	0.044	भागीरथ पुत्र बृखभान जाति त्यागी नि. स्यावटा भूमि स्वामी
8	1165/3	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.209	0.129	खचेरी बा.इतवारी ना.बा. पुत्रगण तेज सिंह सर.खुद मों रामश्री प्रेमा पुत्री तेज सिंह जाति कोरी नि.ग्राम भूमि स्वामी
9	1166/3	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.256	0.009	बाबू पुत्र लखुआ जाति काछी नि.ग्राम भूमि स्वामी
10	1284	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.219	0.008	बीरवल दत्तक पुत्र रघुवर जाति त्यागी नि. स्यावटा
11	1285/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.136	0.005	सिददार पुत्र बाजीराव हि.1/3 मुन्नी बेवा सोनेराम वासुदेव बंटी गोपाल माखन बा.राजेन्द्र ना.बा. पुत्रगण सोनेराम हि.1/3 रामकवरी सन्तो पुत्रियां बाजीराव हि.3/4 रमान करन सिंह नेतराम पुत्रगण हलुके भन्ती पुत्री हलुके हि.1/4 दर हि.14/15 जाति काछी नि.ग्राम भूमि स्वामी
12	1285/3	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.115	0.009	सिददार पुत्र बाजीराव हि.1/3 मुन्नी बेवा सोनेराम वासुदेव बंटी गोपाल माखन बा.राजेन्द्र ना.बा. पुत्रगण सोनेराम हि.1/3 रामकवरी सन्तो पुत्रियां बाजीराव हि.3/4 रमान करन सिंह नेतराम पुत्रगण हलुके भन्ती पुत्री हलुके हि.1/4 दर हि.14/15 जाति काछी नि.ग्राम भूमि स्वामी
13	1290	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.773	0.071	लखपति पुत्र बलवन्त जाति त्यागी नि. ग्राम स्यावटा भूमि स्वामी
14	1292/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.836	0.377	सिददार पुत्र बाजीराव जाति काछी नि.ग्राम भूमि स्वामी
15	1292/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.470		मुन्नी बेवा सोनेराम वासुदेव बंटी बा. गोपाल माखन राशि ना.बा.

2/2


					0.470	पुत्रगण सोनेराम ना.बा. सर.मों खुद रेखा पुत्री सोनेराम जाति काछी नि.ग्राम भूमि स्वामी
16	1293	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.084	0.084	सिददार पुत्र बाजीराव हि.1/3 मु. मुन्नी बेवा सोनेराम, बासुदेव, बंटी, गोपाल, माखन बा. राजेन्द्र ना. बा. पुत्रगध सोनेराम सर.मों खुद रेखा पुत्री सोनेराम हि.1/30 रामकटोरी, सन्तो पुत्रियां बाजीराव हि.3/4समान करन सिंह, नेतराम पुत्रगण हलुके भन्ती पुत्री हलुके हि.1/4 दर हि.14/15 समान भाग जाति काछी नि.ग्राम भूमि स्वामी
17	1294	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.805	0.714	मुन्नी बेवा सोनेराम बासुदेव, बंटी बा.गोपाल माखन, राजेश ना.बा. पुत्रगण सोनेराम रेखा पुत्री सोनेराम ना.बा.सर.मों खुद समान भाग जाति काछी निवसी ग्राम भूमि स्वामी
कुल कित्ता	17			8.625	3.932	

1. यह घोषणा हितवद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात की गयी है।
2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुंबों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट, या अन्य खनिजों की खानें हैं, खनिज और खनिजों के ऐसे भागों में जिन्हें इस प्रयोजन जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यक नहीं है।
4. कलेक्टर, जिला मुरैना के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सख्तगढ़ के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।




विषय :- धारा 40(2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है। इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे।

स्थान : मुरैना
तारीख : 28/11/19


(प्रियंका दास)
कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
↓ जिला-मुरैना (म0प्र0)

पृष्ठांकन क्र0 64/अ-82/भू-अर्जन/उ0म0रे0/2018/14199 मुरैना, दिनांक : 28/11/2019
प्रतिलिपि :- 30-11-19

1. नियंत्रक, शासकीय केन्द्र मुद्रणालय म0प्र0 भोपाल की ओर राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशन हेतु।
2. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, भोपाल की ओर दो स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु।
3. कलेक्टर, जिला-मुरैना के कार्यालय के सूचना पटल पर प्रकाशन हेतु।
4. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सबलगढ, जिला-मुरैना के सूचना पटल पर प्रकाशन हेतु।
5. उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) उत्तर मध्य रेल, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. तहसीलदार, परगना कैलारस की ओर उक्त अधिसूचना का प्रकाशन तहसील, पुलिस स्टेशन, ग्राम पंचायत के सूचना पटल एवं स्थल पर प्रकाशन/घस्पा करने एवं ग्राम में मुनादी उपरान्त, तामीली प्रति भेजने हेतु।
7. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी. मुरैना की ओर कलेक्टर, जिला-मुरैना (समुचित सरकार) के कार्यालय की अधिकारिक वेबसाईट पर अपलोड हेतु।


(प्रियंका दास)
कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
↓ जिला-मुरैना (म0प्र0)